73

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन–अपील/रीवा/भू0रा0/2017/2539 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–07–2017 – पारित ब्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा– प्रकरण कमांक 652/2016–17 अपील

1– सुत्तमणि प्रसाद पुत्र भोंदूराम शुक्ला
2– महिला पंचवती पत्नि स्व. पंचराज शुक्ला
3– रामसुशील 4– भुवनेश्वर प्रसाद
5– सुरेन्द्रप्रसाद 6– रूकमणिप्रसाद
7– भारतेन्दु सभी पुत्रगण स्व. पंचराज शुक्ला
सभी ग्राम खड्डा तहसील सेमरिया जिला रीवा ––––अपीलांट्स

विरूद्ध

हरिप्रताप सिंह पुत्र स्व. भोले सिंह पटैल
ग्राम खड्डा तहसील सेमरिया जिला रीवा –––रिस्पाण्डेन्ट

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डे)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 23 – 5 –2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 652/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–7–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदर , तहसील सेमरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रीवा के प्र0क0 33 ए 2010 में लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर आदेश दिनांक 19–11–11 पारित हुआ है जिसके अनुसार ग्राम खड्डा स्थित भूमि स.क्र. 520/7, 544/7, 546/7, 547/7 कुल किता 4 कुल रकबा 2–18 ए. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर नामान्तरण किया जावे। नायव तहसील सेमरिया ने प्रकरण कमांक 33 अ – 6 /11–12 पॅजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश

दिनांक 12-6-12 पारित किया तथा लोक अदालत के आदेश के पालन में वादग्रस्त भूमि पर अमल करने के आदेश दिये। आवेदकगण ने नायव तहसील सेमरिया के आदेश दिनांक 12-6-12 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की , अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 159/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-3-2017 से अपील स्वीकार कर नायव तहसील सेमरिया का आदेश दिनांक 12-6-12 निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 652/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-7-2017 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 2-3-2017 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह तीसरी अपील राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसील सेमरिया के प्रकरण कमांक 33 अ 6/11-12 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 12-6-12 पर मूल मामला आधारित है जिसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया को हुई है जो आदेश दिनांक 2-3-2017 से निराकृत हुई है उसके वाद द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष हुई है जो आदेश दिनांक 26-7-2017 से निराकृत हुई है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग के इस आदेश के विरूद्व यह तीसरी अपील राजस्व मण्डल ग्वालियर में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि संहिता की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं है।

विक्रमादित्य राय विरूद्व म0प्र0राज्य 1989 (1) म0प्र0वीकली नोट्स 147 का न्याय दृष्टांत है कि राजस्व मण्डल के समक्ष तृतीय अपील की गई है और उसे पुनरीक्षण मानने हेतु आवेदन नहीं किया गया है, तब ऐसी अपील ख़ारिज की जायेगी।

प्रकरण का पेटा पूर्ण है एंव अंतिम बहस हो चुकी, इसके पूर्व अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने हेतु आवेदन नहीं दिया है एंव न ही मौखिक रूप से आग्रह किया है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं है जिसके कारण राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत यह तीसरी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 652/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-7-2017 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर